न्यायालय सेशन न्यायाधीश, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :: अतुल कुमार सक्सेना

आपराधिक विविध(जमानत) प्रकरण संख्या 2021/2024

प्रेम नायक पुत्र सुखाराम उम्र 29 साल निवासी नायकों का मोहल्ला, चौखूंटी के पास, पुलिस थाना नयाशहर, बीकानेर।

प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-299/2024 पुलिस थाना कोटगेट
अपराध धारा-331(4),305(ए),3(5) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थिति :-

1- श्री विक्रम सिंह, अभिभाषक प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2- श्री कमल नारायण पुरोहित, लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

आदेश दिनांक 08.11.2024

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता खारिज किये जाने पर उक्त प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पेश किया गया। नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलवाई गई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि परिवादिया श्रीमती सुनंदा शर्मा ने दिनांक 26.10.2024 को पुलिस थाना कोटगेट के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह दिनांक 17.10.2024 को अपने बेटे और बहु के साथ शहर से बाहर चण्डीगढ़ गई थी। उनके पडौसी ने दिनांक 23.10.2024 को सुबह पाँच बजे फोन कर उनके घर पर हुई चोरी बाबत अवगत कराया, जिस पर वह तुरन्त अपने घर पहुँची। जब तक पुलिस उसके घर पहुँची, विवेक नगर निवासी उसकी बेटी व दामाद पहुँच गये। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए घर के अन्दर

प्रवेश किया और चली गई। वह शाम को आठ बजे बीकानेर पहुँची। उसकी जानकारी के अनुसार चोरों ने उसके घर का प्रमुख दरवाजा तोड़कर अन्दर प्रवेश कर चार तोले का सोने का सेट, दो महिला व दो पुरूष अंगूठी, एक तोले की चैन, चार चाँदी की पायल, 16 बिछुए, लगभग पचास हजार रूपये नकद एवं दस चाँदी के सिक्के चोरी कर लिये....आदि।

3. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोटगेट द्वारा मुकदमा नम्बर-299/2024 अन्तर्गत धारा-331(4),305(ए),3(5) भारतीय न्याय संहिता दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला बीकानेर के समक्ष पेश किया जो आदेश दिनांक 06.11.2024 द्वारा खारिज किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पेश किया गया है।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त एवं विद्वान लोक अभियोजक की जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

5. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। तथाकथित बरामदगी झूठी है। प्रार्थी-अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक अभिलेख नहीं है। आरोपित अपराध आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दण्ड से दण्डनीय नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में लम्बा समय लगने की सम्भावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

6. विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया है।

7. समस्त तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक मनन करने के उपरान्त यह प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध बेईमानीपूर्ण आशय रखते हुए गृह-अतिचार व गृह-भेदन कारित करते हुए परिवादिया के घर से बगैर उसकी अनुमति के सोने-चाँदी के आभूषण व पचास हजार रूपये नकद

चोरी करने के आरोप लगाये गये हैं। प्रार्थी-अभियुक्त इस प्रकरण में दिनांक 01.11.2024 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। आरोपित अपराध ऐसा नहीं है, जिसमें आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दण्ड की सजा का प्रावधान हो। प्रार्थी-अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक अभिलेख नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में लम्बा समय लगने की सम्भावना है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. अतः प्रार्थी/अभियुक्त प्रेम नायक पुत्र सुखाराम उम्र 29 साल निवासी नायकों का मोहल्ला, चौखूंटी के पास, पुलिस थाना नयाशहर, बीकानेर की ओर से प्रस्तुत जमानत का आवेदन अन्तर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस प्रकरण के सम्बन्ध में विचारण न्यायालय की संतुष्टिप्रद 50,000/- रूपये की राशि का स्वयं का बंधपत्र व 25,000-25,000/- रूपये राशि की दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे। आदेश की प्रति जरिये ई-मेल विचारण न्यायालय को प्रेषित की जावे।

(अतुल कुमार सक्सेना)
सेशन न्यायाधीश, बीकानेर

आदेश आज दिनांक 08.11.2024 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं उद्घोषित किया गया।

(अतुल कुमार सक्सेना)
सेशन न्यायाधीश, बीकानेर